

01.6.26

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री अजय मिमरोट उपस्थित।
आरोपी की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार
सजा स्थगन पश्चात् जमानत पर है।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

प्रकरण में आरोपी 25.05.2026 अनुसार अर्थदण्ड राशि
जमा की जा चुकी है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं
है। प्रकरण इसी प्रक्रम पर समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में
अभिलेखागार भेजा जावे।

(श्रीमती सोनल पटेल)

उन्नीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर